संख्या–277 / 100अ.ग्रा.वि.वि. / 2005–टी.सी.II

प्रेषक,

डी०सी० लाखा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, राजस्व, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नियोजन एवं वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

2– मण्डलायुक्त, आज़मगढ़, वाराणसी एवं मीरज़ापुर मण्डल।

3– जिलाधिकारी, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र एवं मीरज़ापुर।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

लखनऊ :दिनांक : 9 जून, 2006

विषय :– नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम्य विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 2314 / अ.ग्रा.वि.वि. / 2005 दिनांक 17 मार्च, 05 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके द्वारा प्रदेश में 3 मण्डलों में – आज़मगढ़, वाराणसी एवं मीरज़ापुर के 6 जनपदों – मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र एवं मीरज़ापुर के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में चिन्हित 252 ग्रामों के विकास के लिए बनाई गई कार्ययोजना को वित्तीय वर्ष 2005–06 में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन अभी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण (ऊर्जा) ग्रामीण विद्युतीकरण (वैकल्पिक ऊर्जा) नाली खड़न्जा स्वच्छ शौचालय, इन्दिरा आवास, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक पाठशाला की स्थापना / भवन निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं आवास स्थल आवंटन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्य योजना को वित्तीय वर्ष 2006–07 तक की अवधि में पूरा किये जाने का निर्णय लिया गया है। अग्रेतर यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में इसी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना के साथ–साथ पूरा कराया जाय; आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कराते हुए मासिक / त्रैमासिक लक्ष्य का निर्धारण व गम्भीरतापूर्वक उसकी विस्तृत समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

9/6

(डी०सी० लाखा)
प्रमुख सचिव।